**फर्द अहकाम**

## अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

नाथूलाल बनाम राज0 सरकार जरिए तहसीलदार बहरावण्डा

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र 136 एल.आर.एक्ट मु0नं0– 08 / 2023

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9/3/24 | पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते निवेदन किया कि वाके ग्राम बहरावण्डा के खाता संख्या नया 186 पुराना 186 में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 5 के पति का सही नाम पांच्या पुत्र हाबूडया दर्ज है तथा खाता संख्या नया 529 पुराना 533 में हारया पुत्र हाबूडया दर्ज है। यह है कि पांच्या पुत्र हाबूडया की मृत्यू हो चुकी है एवं खाता सख्या 529 में प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 5 के पति का गलत नाम हारया दर्ज होने के कारण अपना विरासतन नामान्तकरण नहीं खुलवा पा रहे है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम पांच्या पुत्र हाबूडया दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावे। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर तहसीलदार बहरावण्डा का जवाब स्टेट शामिल पत्रावली है जिसके बिन्दु संख्या 2 में यह कथन किया है कि प्रार्थीगणो के पिता का नाम खाता संख्या 529 में हारया पुत्र हाबुडया दर्ज है जो गलत है तथा खाता संख्या 529 में हारया पुत्र हाबूडया के स्थान पर पांच्या पुत्र हाबूडया दर्ज किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>अतः प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार कर वाके ग्राम बहरावण्डा के खाता संख्या 529 में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता एवं प्रार्थीया संख्या 5 के पति का नाम हारया पुत्र हाबूडया के स्थान पर पांच्या पुत्र हाबूडया दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना हेतु तहरीर जारी हो।<br>निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय (दौसा) | |